जिला– सहरसा

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,सहरसा

–सह–

विशेष न्यायाधीश,सहरसा

स्पेशल केस 142 / 2019

सौरबाजार थाना कांड संख्या–205 / 2013

1. राज्य (द्वारा) मनोहर राम.....अभियोजन पक्ष

बनाम

1. सौरभ मोदी पिता–श्रवण कुमार मोदी उम्र करीब 29 वर्ष
2. श्रवण मोदी उर्फ श्रवण कुमार मोदी पिता–स्व.मोहनप्र.मोदी उम्र करीब 57 वर्ष
3. अशोक मोदी पिता–स्व. मोहन प्र.मोदी उम्र करीब 63 वर्ष
4. अरविन्द मोदी उर्फ अरविन्द चौरसिया पिता–स्व. मोहन प्र.मोदी उम्र करीब 52
5. कुन्दन कुमार उर्फ शशि भूषण कु.हिंद पति–अशोक कु.चौरसिया उम्रकरीब 31

साकिनान–कचरी, थाना–सौरबाजार
जिला–सहरसा.....अभियुक्तगण

वाद से संबंधित तिथियों का विवरणः–

घटना की तिथि	17.06.2013	
प्राथमिकी दर्ज करने की तिथि	17.06.2013	धारा–341,323,504 / 34 भा.द.वि.एवं धारा–3(i)(x) एस.सी / एस.टी.अधि.
आरोप पत्र सं. एवं दाखिल करने की तिथि	242 / 2013 25.07.2013	धारा–341,323,504 / 34 भा.द.वि.एवं धारा–3(i)(x) एस.सी / एस.टी.अधि.
संज्ञान लेने की तिथि	05.01.2021	धारा–341,323, 504 / 34 भा.द.वि.एवं धारा–3(i)(x) एस.सी / एस.टी.अधि.
आरोप गठन की तिथि	15.07.2022	धारा–341,323,504 / 34, भा.द.वि.धारा–3(i)(x) एस.सी / एस.टी.अधि.
अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	10.10.2022	
अभियोजन साक्ष्य बंद होने की तिथि	11.02.2026	
धारा–313 द0प्र0स0बयान तिथि	18.04.2026	
सफाई साक्ष्य प्रारंभ की तिथि	18.04.2026	
सफाई साक्ष्य बंद होने की तिथि	18.04.2026	
बहस प्रारंभ होने की तिथि	18.04.2026	

बहस बंद करने की तिथि 18.04.2026

निर्णय की तिथि 18.04.2026

अभियोजन की ओर से :– श्री अमरेंद्र कुमार
विद्वान विशेष लोक अभियोजक

बचाव पक्ष की ओर से :– श्री संजय महतो, विद्वान अधिवक्ता

सहरसा,दिनांक–18.04.2026

उपस्थितः– संतोष कुमार ,
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश
सहरसा।

निर्णय

1. इस आपराधिक वाद के अभियुक्तगण 1. सौरभ मोदी, 2. श्रवण मोदी उर्फ श्रवण कु., 3. अशोक मोदी, 4. अरविन्द मोदी उर्फ अरविन्द चौरसयिा एवं 5. कुन्दन कुमार उर्फ शशि भूषण कु.हिन्द के विरूद्ध धारा–341,323,504/34 भा.द.वि. एवं धारा–3(i)(x) एस.सी/एस.टी. अधि. एस.सी./एस.टी.अधि. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों के विनिश्चयन हेतु विचारण किया गया है।

2. अभियोजन कहानी का सारांश यह है कि इस वाद के सूचक मनोहर राम के अनुसार दिनांक–20.05.2013 को प्रेम मोदी ने कढैया में सरपंच के नाम एक आवेदन दिया। जिसमें घर मरम्मत के संबंध में कार्य को बंद करने को कहा गया था। मैंने आवेदन लेकर द्वितीय पक्ष के उपर उप सरपंच के द्वारा नोटिश जारी किया। द्वितीय पक्ष नोटिश लेने से इंकार किया। विवाद को बढ़ते देखकर दोनों पक्षों को मैंने खुद जाकर दिनांक–05.06.2013 का दिन मुकर्रर किया। दोनों पक्ष पंचायत कराने के लिए मान गये। दिनांक–05.06.2013 को स्थानीय चबूतरा पर पूरे पंचायत के बुद्धजीवी मुखिया केबिनेट के सदस्य सरपंच केबिनेट के पंच एवं समिति के उपस्थिति में पंचायत की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। प्रथम पक्ष प्रेम मोदी से उपस्थित पंचों ने बयान देने को कहा। प्रथम पक्ष अपने बयानों में उपस्थित पंचों को जानकारी दिया कि जिस जमीन पर हम रह रहे है वह जमीन हमारे दादा स्व.बनवारी मोदी ने ही हमारे पिताजी को बांटकर दिया था। उस समय हमारा जन्म भी नहीं था। जहां बसे हैं वहां आज तक हम बसे हुए हैं। सारा कागज दादा जी के पास था। द्वितीय पक्ष से पंचों ने श्रीमोहन मोदी से पूछा उनका कहना था कि हमको पांचवां हिस्सा चाहिए। जब उनसे कागज की मांग की गयी तो कोई कागज देने से इंकार किया और बोला कि गंगा मोदी के नाम से जो जमीन है उसमें भी हमारा हिस्सा चाहिए। दोनों पक्षों के बयान सुनते हुए पंचो एवं सरपंच ने निर्णय लिया कि विवाद आगे नहीं बढ़ना चाहिए। पूर्व का जो दादाजी बंटवारा किया है। उसे सही रूप से रखा जाय। उपरोक्त आशय के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गयी।

3. उपरोक्त आशय का सूचक के फर्दब्यान के आधार पर सौरबाजार थाना कांड संख्या–205/2013 अंतर्गत धारा–341,323,504/34 भा.द.वि. एवं धारा–3(i)(x) एस.सी./एस.टी.अधि. के अंतर्गत नामजद अभियुक्तगण के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया तथा अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान के क्रम में घटना को सत्य पाकर अभियुक्त सौरभ मोदी एवं एक अन्य के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–242/13 दिनांक–25.07.2013 समर्पित किया गया।

4. आरोप पत्र प्राप्त होने परं अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक–05.01.2021 को धारा–341,323,504/34 भा.द.वि. एवं धारा–3(i)(x) अनु.जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधि. के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया।

5. दिनांक–15.07.2022 को उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा– 341,323, 504/34 भा.द.वि. एवं धारा–3(i)(x) अनु.जाति/जनजाति(अत्याचार निवारण) अधि. के अंतर्गत आरोप का गठन होने के पश्चात अभियोजन साक्षी का साक्ष्य ग्रहण किया गया है। साक्ष्य प्रकरण बंद होने के पश्चात दिनांक–18.04.2026 को अभियुक्तगण का बयान धारा–313 द.प्र.स.के अंतर्गत लिया गया। अभियुक्तगण का बचाव है कि इनको इस मुकदमा में झूठा फंसाया गया है तथा वे निर्दोष हैं।

6. अब इस वाद में मुख्य विनिश्चयन का प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहे हैं ?

7. विचारण के क्रम में अभियोजन की ओर से 04 साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है । अ.सा.स.1 मनोहर राम(सूचक), अ.सा.स.2. संजीव कुमार, अ.सा.स.3. मनोज साह, अ.सा.स.4.मुकेश कुमार उर्फ मुकेश साह का परीक्षण कराया गया है।

अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित कागजात प्रदर्श अंकित कराया गया है।

सूचक मनोहर राम द्वारा थाना में दिए गए आवेदन को प्रदर्श–1 अंकित किया गया।

8. अभियोजन साक्षीं सं.–1.मनोहर राम (सूचक) है, इनका परीक्षण दिनांक–10.10.2022 को हुआ है। साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि मैं इस केस का सूचक हुं। घटना लगभग नौ साल पहले की है। उस समय मैं सरपंच था। मोहन मोदी एवं प्रेम मोदी के बीच में जमीन का विवाद था, उसका पंचायती मैंने किया। पंचायती के अंत में कुंदन मोदी वगैरह हल्ला करने लगे। घटना के संबंध में मैंने सौरबाजार थाना में मैंने आवेदन लिखवाकर दिया, जिसपर मेरा हस्ताक्षर है, जिसे मैं पहचानता हूं। प्राथमिकी आवेदन पर साक्षी (पी0 डब्लु–1) के पहचान पर हस्ताक्षर को प्रदर्श–P-1 अंकित किया जाता है। न्यायालय में उपस्थित मुदालह को पहचानता हूं।

बचाव पक्ष द्वारा प्रति परीक्षण में साक्षी ने कहा कि प्राथमिकी आवेदन को किसने लिखा था, मुझे याद नहीं है। पंचायत में काफी लोग जमा हो गए थे

और हो हल्ला हो रहा था। कौन किसको क्या बोल रहे थे मैंने नहीं सुना था। मुझे इस पंचायत में किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई अपमानजनक बात या जातिसूचक शब्द बात नहीं कहा था। इस केस में बिना किसी के दबाव के अभियुक्तगण से मेल–मिलाप हो गया है। सुलहनामा आवेदन पर मेरा हस्ताक्षर है। जिसे मेरे वकील साहेब ने सत्यापित किये है, जिसे मैं पहचानता हूं। यह केस यदि समाप्त हो जाता है तो मुझे कोई आपति नहीं है।

अभियोजन साक्षी संख्या–2. संजीव कुमार का परीक्षण दिनांक–26.9.2024 को किया गया । साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि मैं घटना के बारे में कुछ नहीं जानता हूं। पुलिस के समक्ष मेरा बयान नहीं हुआ है।

अभियोजन के प्रार्थना पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया जाता है।

बचाव पक्ष द्वारा प्रति परीक्षण में साक्षी ने कहा है कि मेरे गांव के सरपंच का नाम नहीं जानता हूं। मुदालह ग्रामीण है इसलिए पहचानता हूं।

अभियोजन साक्षी संख्या–3. मनोज साह है। इनका परीक्षण दिनांक–26.9.2024 को किया गया। साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि मैं घटना के बारे में कुछ नहीं जानता हूं। पुलिस के समक्ष मेरा बयान नहीं हुआ था।

अभियोजन के प्रार्थना पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया जाता है।

बचाव पक्ष द्वारा प्रति परीक्षण में साक्षी ने कहा है कि मेरे गांव से थाना की दूरी छह किलोमीटर है। मुदालह मेरे ग्रामीण है इसलिए पहचानता हूं।

अभियोजन साक्षी संख्या–4. मुकेश कुमार उर्फ मुकेश साह है। इनका परीक्षण दिनांक–26.9.2024 को किया गया। साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि मैं घटना के बारे में कुछ नहीं जानता हूं। पुलिस के समक्ष मेरा बयान नहीं हुआ था।

अभियोजन के प्रार्थना पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया जाता है।

बचाव पक्ष द्वारा प्रति परीक्षण में साक्षी ने कहा है कि मैं पॉच भाई हूं। मुदालह मेरे ग्रामीण है इसलिए पहचानता हूं।

<u>मन्तव्य</u>

9. उभय पक्ष को सुना। अभिलेख एवं प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्षी का अवलोकन किया। अभियोजन साक्षी संख्या–1. मनोहर राम जो इस वाद के सूचक हैं ने अभियुक्तगण के साथ राजी–खुशी से आपस में सुलह कर लिया है। अ.सा.स.–2. संजीव कुमार, अ.सा.स.3. मनोज साह एवं अ.सा.स.4. मुकेश कुमार उर्फ मुकेश साह को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। आरोपित सभी धाराएं–341, 323, 504/34 भा.द.वि. पक्षकारों के द्वारा सुलहनीय है। लेकिन अन्य धाराएं 3(i)(x)एस.सी/एस.टी.अधि. सुलहनीय नहीं है। अतः इस संदर्भ में सूचक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि इन्होंने अभियुक्तों द्वारा

उक्त आरोपित धाराओं का समर्थन नहीं किया है बल्कि इस बिंदु पर इनका साक्ष्य विरोधाभाष रखता है जो कि युक्तियुक्त संदेह की परिधि में लाता है।

10. उपलब्ध उपरोक्त साक्ष्यों, तथ्यों एवं परिस्थितियों के विवेचनोपरांत स्पष्ट है कि प्रस्तुत साक्षी का साक्ष्य घटना का समर्थन नहीं करते हैं एवं पूर्णतः विरोधाभाष रखते हैं, ये सभी तथ्य, अभियोजन कथन एवं उपरोक्त अभियुक्तगण के उपर लगाए गए आरोपों को युक्तियुक्त संदेह की परिधि में लाता है।

11. उपरोक्त तथ्यों, उभय पक्षों के तर्को, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा वाद की परिस्थितियों के विवेचनोपरांत यह स्पष्ट है कि अभियोजन अभियुक्तगण 1. सौरभ मोदी, 2. श्रवण मोदी उर्फ श्रवण कुमार, 3. अशोक मोदी 4. अरविन्द मोदी उर्फ अरविन्द चौरसिया एवं 5.कुन्दन कुमार उर्फ शशिभूषण कु. हिनद देवी को धारा–341/34 323, 504/34, भा.द.वि. एवं धारा–3(i)(x) अनु. जाति/जनजाति(अत्याचार निवारण) अधि. के आरोपों से पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश
18.04.2026

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश
18.04.2026

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय साक्षीगण की सूची

क–अभियोजन

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति(प्रत्यक्षदर्शी साक्षी,पुलिस साक्षी,विशेषज्ञ साझी साक्षी,मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी साक्षी,अन्य साक्षी)
p.w.-1	मनोहर राम	सूचक
p.w.-2	संजीव कुमार	अन्य साक्षी
p.w.-3	मनोज साह	अन्य साक्षी
p.w.-4	मुकेश कुमार उर्फ मुकेश साह	अन्य साक्षी

ख–बचाव पक्ष साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति(प्रत्यक्षदर्शी साक्षी,पुलिस साक्षी,विशेषज्ञ साझी साक्षी,मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी साक्षी,अन्य साक्षी)

ग–बचाव पक्ष साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति(प्रत्यक्षदर्शी साक्षी,पुलिस साक्षी,विशेषज्ञ साक्षी साक्षी,मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी साक्षी,अन्य साक्षी)

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय प्रदर्श की सूची

क–अभियोजन

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श–1	सूचक द्वारा थाना में दिए गए आवेदन पर सूचक का हस्ताक्षर

ख–बचाव पक्ष

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण

ग–न्यायालय प्रदर्श

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण

घ–वस्तु प्रदर्श

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण

(संतोष कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश
सहरसा
18.04.2026